कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 545 / 13सी0 दिनांक 06/05 –2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धारचूला में रांथी गांव से बोरागांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 किमी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/9429/2015)

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23 मार्च 2021 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:–

क्र. स.	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्ताक विभाग द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)
2	प्र्योक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न। (छाया प्रति संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0 काम्प्लैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एप0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त 4 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न)

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc

7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इ0 संजीव राठी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 545 /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc

(1)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 5006 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 10 दिसम्बर, 2021।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 5955
दिनांक 15/12/21
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 अस्कोट

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में रांथी से बोरा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सं0 **250/X-3-21/1(16)/2021** दिनांक **23.03.2021।**

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.275 हे0	6,57,000/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.2	1,80,675.00/–
2	आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण	100 वृक्ष	1331/वृक्ष	1,33,100.00/–
			योग	3,13,775.00/–

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

स0 अ0 धारचूला / Amalen

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

अ0 अ0
18/12/21

सौनीबोरागाँव

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SG File No.	1(16)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	313775/-

Amount in Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194290191
MoEF/SG File No.	1(16)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	313775/-

Amount in Words :Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR: SBIN123338313650

सौनी बोरागाँव

04 DEC 2023

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Code No. 1863

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

(80)

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रांथी से बोरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

JE
CD, PWD
Askote

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

47

संख्याः 250 /X-3-21/1(16)/2021

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5125
30.3.21

वन अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2021

विषयः जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में राथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1944/FP/UK/ROAD/9429/2015, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में राथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति,** भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव ।

<u>संख्याः (1)/X-3-21/1(16)/2021, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
7. गार्ड फाईल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव ।